L क्रमांक **E** 389216

मध्यप्रदेश शासन

भू-अधिकार
एवं
ऋण पुस्तिका

(एकीकृत)

भाग-1 एवं भाग-2

खातेदार/सह-खातेदार का नाम स्वधर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति डा. अजय प्रताप सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह

ग्राम खैरिया मोदी

प.ह.नं. 60

उ.क्र. 27/(11-12) बी-12)

खातेदार/सह-खातेदार का नाम ....

[सह-खातेदार की स्थिति में प्रथम सह-खातेदार का नाम एवं "अन्य........... (संख्या) भो.]

कृषक का नाम डॉ. अजय प्रताप सिंह

(जिसे पुस्तिका जारी की जा रही है)

पिता/पति का नाम वीरेन्द्र सिंह

ग्राम खेरिया मोदी पटवारी हल्का नं. ९०

राजस्व निरीक्षक मंडल बड़ागांव विकास खण्ड मुरार

तहसील — जिला ग्वालियर

कृषक के हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी का नमूना

जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम/पदमुद्रा

अपर तहसीलदार एवं कार्य पालिक दण्डाधिकारी ग्वालियर

भाग-एक (क) सहखातेदारों का विवरण

ग्राम रखेरियामोदी खाता क्रमांक ५१/२०९६ प.ह.नं. ९०

क. (1)	खातेदार का नाम (2)	पिता/पति का नाम (3)	खाते में हिस्सा (4)
१	परिवार एग्री बिजनिस प्रा. लि. द्वारा डायरेक्टर राकेश सिंह नरवरिया पुत्र चौधरी सिंह नरवरिया नि. ए-1 सिटी सेन्टर साइड नं. 1 ग्वालियर (म.प्र.)		भाग ६५८/९६२
२	स्वधर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति सचिव डा. अजय प्रताप सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह नि. तानसेन नगर ग्वालियर (म.प्र.)		भाग ३१४/~~२०९६~~ ९६२

ग्राम .... खाता क्रमांक .... प.ह.नं. ....

क. (1)	खातेदार का नाम (2)	पिता/पति का नाम (3)	खाते में हिस्सा (4)

प्र.क्र. 27/11-12/ बी-121

भाग 1 (ख) - भू अभिलेख

खाता नम्बर/वर्ष ४७/२०९६ / २०१०-११

भूमि पर हक का प्रकार (भूमिस्वामी/शासकीय पट्टेदार)

क्रमांक (1)	खसरा नंबर (2)	रकबा (3)	लगान (4)	अव्याव[illegible] (5)	रकबा काश्त में (6)	[illegible] (7)	सिंचित रकबा (8)	सिंचाई का स्रोत (कुआं, नहर, तालाब, नदी) (9)	अन्य विवरण (10)
१	९८	०.९६२	४०.२६	-	०.९६२	-	-	-	नामा. पं. क्र. २२१ ८-८-१२ श्रीमान् अ. तह. महो० के आ.दि. ३-८-१२ से नामा. (बोरका)

Sd/- पटवारी १/१/१२

उर्मिला दिनकर
पटवारी
प. ह. नं. ९०
तहसील व जिला ग्वालियर

Sd/- R.I.
राजस्व निरीक्षक
वृत्त ...
तहसील [illegible] ग्वालियर

Sd/-
नायब तहसीलदार
एवं कार्य पालिक मजिस्ट्रेट
ग्वालियर

टीप— भूमि परिवर्तन का खसरा नम्बर, रकबा एवं भू-भाटक लाल स्याही से अंकित किया ज...

XX (a)-A-145 ग्राम - खेरियामोदी

Rev.-- Hindi SD NO/33/08-09/172(1)

पुस्तिक क्र. **फॉर्म--तीन** रसीद क्र.

सर्वे क्र. 98, SD NO/03/09-10/172(1) [परिपत्र दो-४ की कंडिका २ देखिये]

69

2774 रसीद का फॉर्म (दो प्रतियों में)

रकबा - 22,500 व०फी० आदेश दिनांक 06.10.2009

व्यवसायिक

राजस्व मामला या अन्य कार्यवाही क्रमांक .... में

श्री ... सचिव, स्वधर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण ... से

श्री ... समिति, ग्वालियर द्वारा Dr. अजय प्रतापसिंह ... द्वारा

S/o स्व० श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान निवासी-तान-

रुपये ... सेन, रोड, ग्वालियर ... (अंकों और

शब्दों में) प्राप्त हुए पुनर्निर्धा० वर्ष 2009-10 रु. 608=00

पंचायत उपकर रुपये - 304=00

अन्य विवरण ... प्रीमियम राशि रुपये - 21150=00

रु० बाइस हजार बासठ, मात्र कुल योग रुपये - 22062=00

भुगतान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर रकम प्राप्त करने वाले अधिकारी

या अंगूठे का निशान. के हस्ताक्षर.

Officer on Special Duty
(Diverted Lands)
Gwalior (M.P.)

तारीख 07.10.2009

शाक्षेमुग्वा-148-फार्म्स-25-11-97-29,800 बुक.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 372748

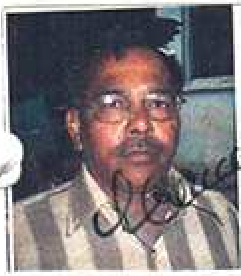

॥ श्री ॥

लिखतम विकी पत्र मूल्य 94,000/– रूपये

शब्देन चौरानवे हजार रूपये

मुद्रांक शुल्क	7,520.00	रूपये
ग्राम पंचायत शुल्क	940.00	रूपये
उपकर एवं अधिक	390.00	रूपये
कुलयोग	8,850.00	रूपये

विक्रीत की जाने वाली सम्पति कृषि भूमि असिंचित है । जिसका बाजारू मूल्य 94,000/– चौरानवे हजार रूपये होने से तद्नुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है । उक्त वर्णित आराजी भूमि मुख्य रोड़ से लगभग 800 मीटर से अधिक अंदर स्थित है ।

भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका क्रमांक जे0–480367
स्थित ग्राम खेरिया मोदी पटवारी हल्का नम्बर 49
राजस्व निरीक्षक मण्डल 3 मुरार विकास खण्ड मुरार
तहसील व जिला ग्वालियर , म0प्र0 ।

मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 एवं अन्य किसी धारा का उल्लघंन नहीं होता है ।

क्रमश : 2

1242

1334 रसीद दस्तावेज वगैरह 30

भारतीय गैर

पचास रुपये

रु.50

दफ्तर .... मुकाम ....

किस को दी गई	दस्तावेज की तफसील तारीख व कीमत तथा दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबंद लिफाफा लिया गया हो जिनके बावत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजि...
1	2	3	4
	नारायण विक्री 94000 146500	1347=	

तारीख 7-7-07 उप-पंजीयक

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH B 106408

। 2 ।

बिकीधन	:	94,000/– चौरानवे हजार रूपये में से 44,000/– रूपये मुझ विकेता ने केता से घर पर नगद प्राप्त किये व 50,000/– रूपये बजर्ये चैक कमांक 676884 दिनांक 6-7-07 स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा तानसेन रोड हजीरा ग्वालियर का प्राप्त किया । इस प्रकार मुझ विकेता ने केता से सम्पूर्ण प्रतिफल धनराशि उपरोक्तानुसार प्राप्त कर ली है । अब भविष्य में कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है
विक्रेता	:	**नारायण पुत्र श्री लालाराम बघेले, निवासी ग्राम खेरियामोदी परगना व जिला ग्वालियर, म0प्र0 ।**
क्रेता	:	**सचिव स्वधर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति ग्वालियर, म0प्र0 ।** डा0 अजय प्रताप सिंह पुत्र स्व0 श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान

जो कि, मुझ विक्रेता के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम खेरिया मोदी पटवारी हल्का नम्बर 49 तहसील व जिला ग्वालियर में है । उक्त वर्णित कृषि आराजी भूमि मुझ विकेता की पुश्तैनी सम्पति होकर कागजात सरकारी व राजस्व अभिलेखों में मुझ विक्रेता के नाम से दर्ज होकर कहीं भी रहन वय, दान आदि नहीं है तथा हर प्रकार के रट्टे झगड़े से साफ व पाक होकर किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण एवं स्टे आदि लम्बित नहीं है तथा शासकीय पट्टे एवं भू–दान आदि की नहीं है । मुझ विक्रेता को हस्तांतरण करने का पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त है । कारण कि, मुझ विक्रेता को अपने घरू खर्च वास्ते रूपयों की आवश्यकता होने के कारण उपरोक्त वर्णित भूमि क्रेता को विक्रय करना स्वीकार है ।

नारान

क्रमश : 3

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

B 106409

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

|| 3 ||

यहकि, विक्रीत भूमि नगर निगम सीमा के बाहर होकर ब्लॉक जनपद पंचायत सीमा ग्वालियर के अंदर स्थित है । जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

सर्वे क्रमांक	कुल रकवा	विक्रीत रकवा	लगान
98	0.972 है0	0.209 है0	मु0 रेट

यानि एक बीघा भूमि विक्रीत की गई ।

यहकि, उपरोक्त वर्णित भूमि को कुल प्रतिफल रूपये 94,000/– चौरानवे हजार रूपये में बहक क्रेता **सचिव स्वधर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति ग्वालियर,** को विक्रय कर दी है तथा सम्पूर्ण विक्रय धनराशि 94,000/– चौरानवे हजार रूपये में से 44,000/– रूपये मुझ विक्रेता ने क्रेता से घर पर नगद प्राप्त किये व 50,000/– रूपये बजर्ये चैक क्रमांक 676884 दिनांक 6.7.07 स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा तानसेन रोड हजीरा ग्वालियर का प्राप्त किया । इस प्रकार मुझ विक्रेता ने क्रेता से सम्पूर्ण प्रतिफल धनराशि उपरोक्तानुसार प्राप्त कर ली है । अब भविष्य में कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है यदि भविष्य में मुझ विक्रेता द्वारा अथवा मेरे वारिसानों द्वारा कम धन पाने बावत् या बिल्कुल ना पाने बावत् कोई आपत्ति की जावे तो वह इस लिखतम के समक्ष मिथ्या एवं अमान्य माना जावेगा ।

क्रमश : 4

नारान

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH B 106410

|| 4 ||

यहकि, विक्रीत भूमि का खाली कब्जा एवं मालिकाना हक मौके पर क्रेता को करा दिया है अब वह चाहें काश्त करें , बटाई से काश्त करावें , रहन , वय , दान आदि करें एवं जिस प्रकार चाहें अपने उपयोग एवं उपभोग में लावें तथा कागजात सरकारी में अपने नाम से नाम इन्द्राज करावें जिसमें मुझ विक्रेता एवं मेरे वारिसानों को कोई आपत्ति नहीं होगी । तात्पर्य यह है कि उक्त भूमि पर जो स्वत्वाधिकार एवं सुखाधिकार मुझ विक्रेता को प्राप्त थे वह इस लिखतम के सम्पादन के पश्चात् से क्रेता को प्राप्त हो जावेंगे और भविष्य में प्राप्त होंगे ।

यहकि, विक्रीत भूमि कहीं भी रहन , वय , दान आदि नहीं है एवं पूर्व से अन्यंत्र कहीं हस्तांतरित एवं अनुबंधित नहीं है ऐसा विश्वास मुझ विक्रेता ने क्रेता को दिला दिया है । फिर भी स्वत्व की त्रुटि पाई जाने की वजह से विक्रीत भूमि अथवा जुज भाग कब्जा क्रेता के आधिपत्य से निकल जावे या पूर्व का कोई ऋण भार आदि चुकाना पड़े तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुझ विक्रेता की होगी तथा ऐसी दशा में क्रेता को अधिकार होगा कि वह बिक्री धन राशि मय हर्जे खर्चे के मुझ विक्रेता से अथवा मेरी मौजूदा चल अचल सम्पति से विधिवत वसूल कर लेंवे । जिसमें मुझ विक्रेता अथवा मेरे वारिसानों को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

नारान

क्रमश : 5

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

B 106411

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

||5||

अतः यह लिखतम विक्रय पत्र मुझ विक्रेता ने अपनी पूर्ण इच्छा से बिना किसी दबाव व बहकाव के सोच व समझकर पढ़कर सुनकर पूर्ण होश हवास में बिना किसी नशे पत्ते के लेखबद्ध कर दी जो कि वक्त जरूरत काम आवें ।

इति दिनांक : 07.07.2007

इस लिखतम का प्रारूप विकेता व केता के निर्देशानुसार विनोद कुमार श्रीवास्तव दस्तावेज लेखक द्वारा तैयार किया गया ।

हस्ताक्षर केता

हस्ताक्षर विक्रेता

नारान

हस्ताक्षर गवाहान :-

आनन्द सिंह यादव S/o श्री एन. एस. यादव
B-75 गोविन्दपुरी
थाटीपुर ग्वा.

2.

Rishi Sharma
S/o Ramkrishna Sharma
MIG-1079 New Darpan
Colony Thatipur Gwalior-474

XXIII-D-3
Settt.

अदालत श्री अनिल वनवारिया विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)

(परिवर्तित भूमि पर पुनर्निर्धारण, प्रब्याजि तथा जुर्माना का सूचना-पत्र)

नोटिस प्रपत्र ''बी''

ओ. एस. डी. नं. 33/2008-09 / 172(1)

बनाम

श्री सचिव स्वधर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण सेवार्थ समिति द्वारा डॉ. अजयपालसिंह पुत्र स्व. श्री वीरेन्द्रसिंह चौहान नि. तानसेन नगर ग्वालियर निवासी / ग्राम खेरियामोदी

प. ह. न. 49 तहसील ग्वालियर जिला ग्वालियर

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर–कारतकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामला एस डी ओ क्रमांक 03/2009-10/172(1) के अंतर्गत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर के आदेश दिनांक 06-10-09 के अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमा) निर्धारण किया गया है :–

नाम ग्राम मय बन्दोबस्त नंबर प.ह.न.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अंतिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुनर्निर्धारण (जमा)
ग्राम खेरियामोदी प.ह.न. 49	98	22500 वा.फु. व्यवसायिक	परिवर्तित भू-राजस्व रु. 608=00 वार्षिक। पंचायत उपकर रु. 304=00 वार्षिक। वर्ष 200 - से लागू किया गया। कृषि लगान कम होगा। परिवर्तित भू. 2-0 प्रतिवर्ष देय होगा।

(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काश्तकारी भूमि की गैर–कारतकारी कामों में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप आप पर प्रीमियम (प्रब्याजी) 21150=00 रुपया और जुर्माना X रुपया किया जाता है जो आप खजाने में जमा कर चालान दिनांक सात दिवस या इसके पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें।

विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
ग्वालियर

पुस्तिका क्रमांक **001055**

कृषक का नाम अजय प्रताप सिंह

पिता/पति का नाम श्री वीरेन्द्र सिंह

ग्राम खेरिया मोदी पटवारी हल्का नं. ४९/९६

राजस्व निरीक्षक मण्डल चैतन्यपुरा विकास खण्ड मुरार

तहसील ग्वा जिला ग्वा.

कृषक के हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी का नमूना

....

ग्राम खेरिया मोदी ५.६.१५/१२
राजस्व निरीक्षक वृत्त पुर
तहसील १ जिला ग्वालियर
स्केल 1" = 300 फीट

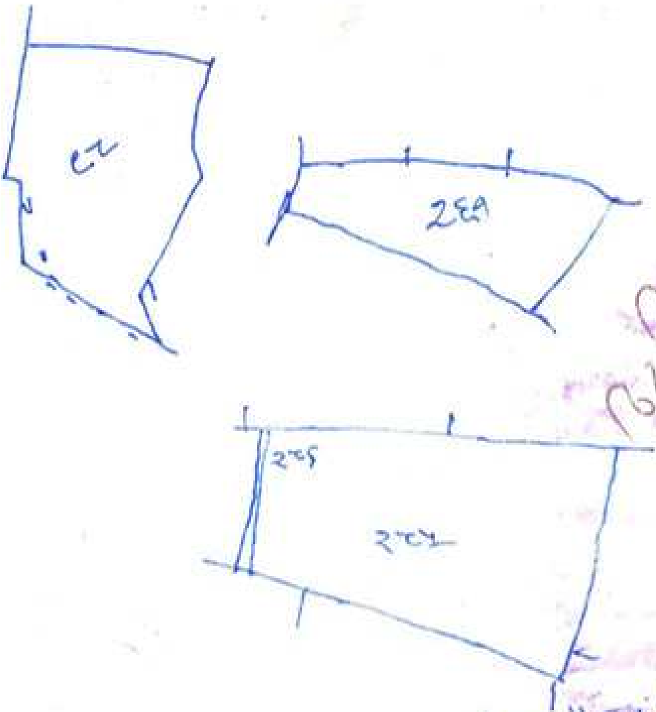

नोट: खसरा नक्शा अमल के मुताबिक तैयार किया स्लोट क्र. 3930/870

पंजी. क्र. ग्वा. सं. 3215

स्व. धर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति

427, तानसेन नगर, ग्वालियर (म.प्र.) फोन : 0751- 2425898, 5051536
मोबाइल : 98262-66426, 98270-66426, E-mail : sarwadharma_1@rediftmailcom.

क्रमांक 281— दिनांक 27 June 2007

प्रति,
श्रीमान सहायक पंजीयक महोदय
फर्म्स एवं संस्थाएं
ग्वालियर संभाग, ग्वालियर

विषय : भूमि क्रय करने हेतु अनुमति प्राप्त करने बाबत —

माननीय महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि —

— स्व. धर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति ग्वालियर म. प्र. अपनी शैक्षणिक व सामाजिक गतिविधियों के संचालन हेतु भूमि क्रय करना चाहती है।

— समिति द्वारा क्रय करने हेतु चयनित भूमि के बाजार मूल्य की दो प्रतिशत राशि का चालान एवं आवश्यक निर्धारित प्रपत्र संलग्न प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

कृपया भूमि क्रय करने हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

सादर - सधन्यवाद !

संलग्न :

(i) चालान क्रमांक 6947497/56
दिनांक 27 June 2007 रु. 2700/=
(ii) साधारण सभा बैठक की सत्यापित प्रति
(iii) अनुबंध पत्र की फोटो कॉपी,
(iv) भूमि पुस्तिका की फोटो कॉपी
(v) खसरा की प्रति
(vi) फार्म VI
(vii) रेवेन्यू ऑफीसर द्वारा स्वीकृत भूमि प्रमाणपत्र.

प्रार्थी
[signature]
सचिव
स्व. धर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति ग्वालियर (म.प्र.)

29/6/07

FORM VI

(See Rule 10)

Application for seeking permission under Section 21 of the Madhya Pradesh Societies Registrikaran Adhiniyam, 1973 for acquiring immovable property or for sale, gift or otherwise.

1.	Name and full address of the Society	Swa Dharma Shiksha Avam Samaj Kalyan Sansthan Samiti. 427, Tansen Nagar, Gwalior
2.	Registration Number and Date of the Society	3215 Dt. 28.12.95 Gwalior Chambal Sambhag.
3.	Full particulars of the immovable property of Society.	Land
4.	Full particulars of the immovable property to be acquired/purchased/gift/Transfer/Sale or otherwise with Khasra No. Map owner ship certificate etc.	0-157 Hectar land of Survey No. 98 at Halka No. 49/95 at Graam Kheria Modi, Near Badagaon, Morar, Gwalior.
5.	Reason of Sale/purchase or otherwise transfer of the immovable property or use of the property other than the object of the Society	
6.	Full name and address of the purchaser or seller of the property.	Narian S/o Shri Lakha Ram R/o Village Kheria Modi, Morar Gwalior
7.	Certificate of reasonableness of the value of the immovable property by the local competent Revenue Officer.	Enclosed
8.	Copies of the minutes (Resolution) according to Rules and Regulation of the society for purchase/sale or transfer of the immovable property.	Enclosed
9.	If the seller/purchaser belongs to Schedule Tribe then the order of the Collector be enclosed.	N.A.
10.	Any other information if any (such as sources of funds etc.)	—
11.	The fee for permission for purchase, sell, transfer etc. of the immovable property has been deposited Rs. 2700/= by Receipt/ Challan No 6947497/50 dated 27 June 2017 Original copy of the challan is enclosed.	Yes, deposited

रामगोपाल
अध्यक्ष
स्व धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति, ग्वालियर (म.प्र.)

(Signature of the President)

चालान नं.

FORM M. P. T. C. 7 (See Subsidiary Rule 59)

खजाना/उप-खजाना/स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में पैसे जमा करने का चालान

At स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ग्वालियर

पैसा जमा करने वाले को लिखना चाहिये | विभागीय या खजाना आफिस को लिखना चाहिये

कौन लाया	उसका नाम या ओहदा और पता जिसकी ओर से पैसा जमा किया जा रहा है	किस बाबत पैसा जमा किया जा रहा उसका पूरा विवरण	रकम		लेखा शीर्ष	लेखा अधिकारी जिसने समायोजन किया	बैंक को आदेश
1	2	3	4		5	6	7
			रुपये	पैसे			
नाम [illegible] हस्ताक्षर	अहिल्या [illegible] शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति 427, [illegible] ग्वालियर	भूमि क्रय करने हेतु अनुमति बाबत	2700=	00	1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 800: अन्य प्राप्तियाँ [illegible]		दिनांक 27-6-07 ठीक है-शब्द रुपये पावती रु. 2700/- ... शुल्क प्राप्त करने के आदेश प्रदान करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पूर्ण पद नाम
		कुल	2700=	00			

रुपये दो हजार सात सौ रुपये मात्र केवल बैंक की विभाग के अधिकारी अथवा

(शब्दों में) कोषालयाधिकारी द्वारा प्रेषक के मामले में उपयोग किये जाने हेतु

रुपये 2700/- (शब्दों में) का भुगतान प्राप्त किया

Rs 2700/- दो हजार सात सौ रु
6997997/[illegible]

स्टेट बैंक औद्योगिक संस्थान शाखा ग्वालियर
27 JUN 2007

कोषालयाधिकारी

खजाना | गणक | दिनांक | एजेन्ट

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH ।। श्री ।। B 711683

लिखतम विक्रय अनुबन्ध पत्र स्टाम्प कीमती 100) एक सौ रूपया किता 1.

पक्षकार क्रमांक 1 :- नारायण आत्मज श्री लालाराम जाति बघेल निवासी ग्राम सैरिया मोदी परगना व जिला गवालियर.

पक्षकार क्रमांक 2 :- सचिव स्वधर्मा शिक्षा एंव समाज कल्याण संस्थान समिति 427 तानसैन नगर ग्वालियर.

नारायण

यह कि मुझ मिसु पक्षकार क्रमांक 1 के स्वत्व स्वामित्व इंव आधिपत्य की आराजी भूमिसर्वे क्रमांक 98 रकवा 0-972 हे0 स्थित ग्राम सैरिया मोदी परगना व जिला गवालियर मे है। व कागजात सरकारी मे मेरा नाम वहैसियत स्वामी अंकित होकर काविज व दखील व मालिक हू अन्य और कोई हिस्सेदार व भागीदार आदि नही है। व आराजी भूमि कही रहन व वय व हिवा आदि नही है। मैं पक्षकार क्रमांक 1 अपनी आराजी भूमि मे से रकवा 0-627 हे0 यानी तीन वीघा (सर्वधर्म कालेज से लगी हुई व आराजी भूमि नारायण के बीच मे व रोड,) जिसका पुस्तिका क्रमांक जे 480367 पटवारी हल्का क्रमांक 49 मे है। को प्रतिफल 6,00,000) छै लाख रूपया मे पक्षकार क्रमांक 2 को विक्रय करने का अनुबन्ध करता हू व आज दिनांक 4,10,000)चार लाख दस हजार रूपया मुझ पक्षकार क्रमांक 1 ने पक्षकार क्रमांक 2 से मकान पर प्राप्त किये व शेष धन 1,90,000) एक लाख नव्वे हजार रूपया वक्त वय नामा प्राप्त किया जावेगा ।

यह कि उपरोक्त आराजी भूमि का बयनामा पक्षकार क्रमांक 2 जब भी चाहे अपने हित मे या किसी भी व्यक्ति के हित मे एक मुस्त या खण्ड खण्ड मे रजिस्ट्री कराने के अधिकारी होंगे । अगर मुझ पक्षकार क्रमांक 1 व मेरे वारसान ने पक्षकार क्रमांक 2 के कहे मुताबिक बयनामा न किया या किसी प्रकार की आना कानी करू तो पक्षकार क्रमांक 2 को अधिकार होगा कि न्यायालय मे कार्यवाही करके जवरिया बयनामा कराने के अधिकारी होंगे । व न्यायालय मे जो भी खर्चा आवेगा व पक्षकार क्रमांक 2 को मेरी अन्य अचल व शेष धन मे से मुजरा पाने के अधिकारी होंगे ।

हम दोनो पक्षकारान इस अनुवन्ध के तन्हा पावन्द रहेंगे ।

लिहाजा यह विक्रय अनुवन्ध हमने अपनी राजी खुशी के लिख दिया कि सनद हो व समय पर काम आवे इति दिनांक 25 जून 2007

हस्ता0 पक्षकार क्रमांक 1

नारान

हस्ता0 पक्षकार क्रमांक 2

हस्ता0 साक्षीगण

1:- राजकुमार यादव

राज कुमार यादव पुत्र श्री हवलदार सिंह
निवासी वड़ा गांव परगना गवालियर.

2:-

रामदास पुत्र श्री
निवासी खेरिया मोदी परगना गवालियर.

फार्म पी – II

खसरा

रा.नि. मंडल ४९-[illegible] तहसील जिला वर्ष [illegible]

[illegible] और यदि [illegible] खातों [illegible] सम्मिलित [illegible] हो तो उसका वर्णन	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई है एक से अधिक कब्जेदार हों तो प्रत्येक का हिस्सा और देय राजस्व या लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरुसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि – क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई: फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल: चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	[illegible] कैफियत
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
०.९६२	[illegible] सिंह पुत्र [illegible] [illegible] [illegible] हि.रकबा ०.[illegible] भाग भूमि स्वामी [illegible] [illegible] [illegible] चौहान पुत्र [illegible] चौहान पता निवासी [illegible] हि.रकबा ०.२०[illegible] भाग भूमि स्वामी श्रीमती [illegible] चौहान पत्नी [illegible] पता निवासी [illegible] हि.रकबा ०.२०५ भाग भूमि स्वामी [illegible] [illegible]									[illegible]

प्रमाणित [illegible] के हस्ताक्षर :

नाम, पद एवं दिनांक :

CLR M.P.

कार्यालय संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय
ग्वालियर (म0प्र0)

क्रमांक / 577 / U0.17339. / नग्रानि. / 2009 ग्वालियर, दिनांक 8/4/09

प्रति,

सचिव स्वधर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति
श्री अजय प्रताप सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह
रनेरिया मोदी ग्वालियर

विषय— निवेश क्षेत्र ग्वालियर के बाहर / ~~अंदर~~ भूमि उपयोग की जानकारी बाबत् ।

संदर्भ— आवेदन प्राप्ति दिनांक 4-4-09 / 544

ग्राम रनेरिया मोदी सर्वे क्रमांक 98
रकवा 0.209 हेक्टर

हेतु भूमि उपयोग की जानकारी चाही गई है, वह निवेश क्षेत्र के बाहर / ~~अंदर~~ स्थित है तथा भूमि उपयोग व्यापक रूप से कृषि है ।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
ग्वालियर (म0प्र0)

landuse jankari 3

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर

एस.डी.ओ.प्र.क्र. 09 / 2012-13/ 172 (1)
ओ.एस.डी.प्र.क्र. 17 / 2012-13 / 172 (1)

सचिव, स्व.धर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति
डॉ अजय प्रताप सिंह चौहान पुत्र स्व.वीरेन्द्रसिंह चौहान
निवासी तानसेन नगर ग्वालियर

प्रधान प्रतिलिपिकार
कार्यालय कलेक्टर
जिला ग्वालियर (म.प्र.)

.... प्रार्थी

विरूद्ध

म.प्र.शासन .... प्रतिप्रार्थी

आदेश पारित दिनांक 01.12.12

आवेदक सचिव, स्व.धर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति डॉ अजय प्रताप सिंह चौहान पुत्र स्व. वीरेन्द्रसिंह चौहान निवासी तानसेन नगर ग्वालियर द्वारा ग्राम खेरियामोदी पटवारी हलका नं. 90 तहसील व जिला ग्वालियरं के सर्वे क्रमांक 98 मिन रकवा 0.105 हेक्टेयर यानि 11250 वर्गफुट भूमि पर व्यावसायिक (शैक्षणिक) उपयोग हेतु डायवर्सन की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जो म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के तहत पंजीबद्व किया गया।

राजस्व अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। प्रकरण में कम्प्यूटराईज्ड नकल खसरा वर्ष 2012–13 की छायाप्रति एवं भूमि उपयोग मत की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में संलग्न कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश ग्वालियर का पत्र क्रमांक 577 / UO/ 17329/न.ग्रा.नि. / 2009 ग्वालियर दिनांक 8.4.2009 द्वारा भूमि उपयोग निवेश क्षेत्र से बाहर स्थित होकर व्यापक रूप से कृषि दर्शाया गया है।

एस.एल.आर.डायवर्सन से प्रतिवेदन लिया गया, जिसमें डायवर्सन किये जाने की अनुशंसा की गई है। इनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि व्यावसायिक (शैक्षणिक) प्रयोजन हेतु व्यावसायिक दर से डायवर्सन की अनुज्ञा देने पर रकवा 11250 वर्गफुट भूमि पर वार्षिक परिवर्तित भू–राजस्व रूपये 1812 / – एवं प्रीमियम रूपये 15750 / –, पंचायत उपकर 906 / – इस प्रकार कुल रूपये 18468 / – वर्ष 2012–13 से आवेदक पर देय होगा। तदनुसार राशि जमा कराई जा चुकी है।

प्रकरण में संलग्न समस्त अभिलेखों का परीक्षण किया गया तथा यह माना गया कि आरोपित शर्तों के साथ प्रश्नाधीन भूमि पर व्यावसायिक (शैक्षणिक) कार्य हेतु डायवर्सन की अनुमति प्रदान की जा सकती है। अतः म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए प्रश्नाधीन भूमि पर निम्न शर्तें आरोपित करते हुए व्यावसायिक (शैक्षणिक) उपयोग हेतु डायवर्सन की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

सत्य प्रतिलिपि

निरन्तर......2 / –

(2)

सचिव, स्व.धर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति
डॉ अजय प्रताप सिंह चौहान पुत्र स्व.वीरेन्द्रसिंह चौहान
निवासी तानसेन नगर ग्वालियर

आवेदक अधीक्षक भू–अभिलेख डायवर्सन की गणना अनुसार ग्राम **खेरियामोदी** के भूमि सर्वे क्रमांक 98 मिन रकवा 0.105हेक्टेयर, यानि 11250 वर्गफुट भूमि के व्यावसायिक (शैक्षणिक) की परिवर्तित भू–राजस्व रूपये **1812/–** पंचायत उपकर रूपये **906/–** प्रतिवर्ष आगामी वर्ष अक्टूबर 2013–14 से राजकीय कोष में जमा करना सुनिश्चित करें ।

2– आवेदक कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश ग्वालियर / स्थानीय निकाय से प्रश्नाधीन भूमि पर निर्माण के लिए स्वीकृत मानचित्र अनुसार ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

3– स्थल पर लोक न्यूसेंस की गतिविधि वर्जित है तथा सामाजिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

4– नगर निगम के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना होगा।

5– पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत निर्मित समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ताकि किसी भी प्रकार का प्रदूषण न होने पाए।

6– निर्माण के दौरान शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो।

7– निर्माण के पूर्व भवन की ऊंचाई, छज्जों आदि का निर्माण तथा विन्यास मुताबिक खाली स्थान छोड़ा जाना तथा निर्धारित " फ्लोर एरिया" अनुपात का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

8– यदि व्यपवर्तन अनुज्ञा आदेश पारित करने के उपरान्त प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व संबंधी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

9– आवेदक को म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा म.प्र.भू–विकास नियम 1984 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा बताये गए भू उपयोग अनुसार ही निर्माण करना होगा। यदि मास्टर प्लान के अनुरूप निर्माण नही होता है तो यह व्यपवर्तन आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा जमा की गई अधिरोपित राशि (परिवर्तित भू राजस्व, पंचायत उपकर, प्रीमियम, आदि) वापसी योग्य नही होगी।

10– आवेदक अन्य संबंधित विभाग से भी निर्माण पूर्व आवश्यक अनुमति प्राप्त करें।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर दी गयी डायवर्सन की अनुमति निरस्त की जाएगी। "बी–1" में अमल हो। प्रकरण दायरा से कम हो तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु एस. एल.आर. डायवर्सन को वापस किया जाए।

सत्य प्रतिलिपि

अनुविभागीय अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरार
मुरार (सिटी) ग्वा.